

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -	तारीख दायर	तारीख फैसला
16 / 2018 / प्रार्थना पत्र	19.01.2018	09.02.2018

उनवान

लाल खों पिता लाब्दी खों कायमखानी निवासी कायमपुरा तह० फूलियाकलां

- प्रार्थी

बनाम

- 1- हमीद खों पिता भूरे खों कायमखानी नि० कायमपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- मुमताज खों पिता हबीब खों कायमखानी नि० कायमपुरा त० फूलियाकलां
- 3- महमुद खों पिता हबीब खों कायमखानी नि० कायमपुरा त० फूलियाकलां
- 4- मकसूद खों पिता हबीब खों कायमखानी नि० कायमपुरा त० फूलियाकलां
- 5- मइनुदीन पिता हबीब खों कायमखानी नि० कायमपुरा त० फूलियाकलां
- 6- आमीन खों पिता हबीब खों कायमखानी नि० कायमपुरा त० फूलियाकलां
- 7- सलीम खों पिता फत्तू खों कायमखानी नि० कायमपुरा तह० फूलियाकलां
- 8- हलीमाबानू पिता लाब्दी खों कायमखानी नि० अजमेर (राज०)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री गोविन्दसिंह हाड़ा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कायमपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 51 आ०न० 187 / 332 रकबा 0.25 है, आ०न० 198 रकबा 0.33 है०, आ०न० 302 रकबा 0.72 है० कुल कित्ता 03 रकबा 1.30 है० स्थित है। पेरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 7 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है।

अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 09.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 09.08.2018 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 8 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कायमपुरा पटवार मण्डल सांगरिया संवत 2073 से 76 के खाता संख्या 51 आ०न० 187/332 रकबा 0.25 है, आ०न० 198 रकबा 0.33 है, आ०न० 302 रकबा 0.72 है कुल किता 03 रकबा 1.30 है का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कायमपुरा पटवार हल्का सांगरिया तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 51 आ०न० 187/332 रकबा 0.25 है, आ०न० 198 रकबा 0.33 है, आ०न० 302 रकबा 0.72 है कुल किता 03 रकबा 1.30 है का प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/- (अक्षरे पाँच रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त



किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा